

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: 2830/प्र0अ0/सि0वि0/कार्मिक-1/ई-5/स्था0-2018,

दिनांक: 01 जून, 2018

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्रम अंक	नाम/गृह जनपद /जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री				
1	विनोद कुमार नौटियाल/पौड़ी /24.01.65	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विधि अनुभाग) सिंचाई विभाग, देहरादून	सिंचाई कार्य मंडल, उत्तरकाशी (रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(क)	धारा 7 (ग) के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण करने पर जो भी पहले हो उस स्थानान्तरण सत्र में सुगम क्षेत्र में आने के पात्र होंगे
2	राजेश नौटियाल /टिहरी/ 30.06.68	परियोजना खंड, ऋषिकेश	सिंचाई खंड, उत्तरकाशी (उपखंड-4) (श्री प्रेमलाल नौटियाल, सहा0अभि0 के स्था0 के फलस्वरूप रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(क)	-तदैव-
3	शिवराम जगूड़ी/ उत्तरकाशी / 04.03.69	सिंचाई खंड, कालसी (उपखंड-1)	सिंचाई खंड, नरेन्द्रनगर (उपखंड-1 कैन्टी) (श्री अजय कुमार जौन, सहा0अभि0 को प्रभारी अधि0अभि0 का कार्यभार दिये जाने के पश्चात रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(क)	-तदैव-

4	राजेश लाम्बा /टिहरी /01.02.67	परियोजना खंड, ऋषिकेश	अवस्थापना पुनर्वास खंड, ऋषिकेश (श्री डंगवाल, सहा०अभि० के स्था० के फलस्वरूप रिक्त पद पर)	धारा 7(घ)(तीन)	-
5	विनोद प्रसाद डंगवाल/ टिहरी /04.03.69	अवस्थापना पु० खंड, ऋषिकेश (मु० हरिद्वार)	परियोजना खंड, ऋषिकेश (श्री राजेश लाम्बा, सहा० अभि० के स्था० के फलस्वरूप रिक्त पद पर)	धारा 7(घ)(दो)	-
6	मदन सिंह बिष्ट/अल्मोड़ा / 04.11.65	सिंचाई खंड, रामनगर (उपखंड-2)	सिंचाई खंड, टिहरी (उपखंड-1) (श्री फरहान खान, सहा०अभि० को प्रभारी अधि०अभि० का कार्यभार दिये जाने के पश्चात रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(क)	धारा 7 (ग) के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण करने पर जो भी पहले हो उस स्थानान्तरण सत्र में सुगम क्षेत्र में आने के पात्र होंगे
7	योगेश चन्द्र काण्डपाल/ अल्मोड़ा/ 01.03.73	पी०एम०जी०एस० वाई० सि०ख०, नैनीताल	सिंचाई खंड, बागेश्वर (उपखंड-3) (रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(क)	-तदैव-
8	संजीव कुमार सिंह /हरिद्वार / 27.09.69	सिंचाई खंड, रूड़की (उपखंड-5)	पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खंड-2, टिहरी (रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(क)	-तदैव-
9	मधुसूदन बलोनी/ टिहरी/ 08.07.70	सिंचाई खंड, नरेन्द्रनगर (उपखंड- मुनीकीरेती)	सिंचाई खंड, उत्तरकाशी (उपखंड-3) (श्री हुकुम सिंह रावत, सहा०अभि० को प्रभारी अधि०अभि० का कार्यभार दिये जाने के पश्चात रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(क)	-तदैव-

0	राजीव खनूलिया / अल्मोड़ा / 14.11.66	सिंचाई, नैनीताल (उपखंड-4)	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खंड, लोहाघाट (रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(क)	-तदेव-
11	अभय कुमार वर्मा / मुसादाबाद / 30.06.66	सिंचाई खंड, सितारगंज (सम्बद्ध)	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खंड, हल्द्वानी (जमरानी बांध निर्माण खंड-1, हल्द्वानी)	धारा 7(घ)(तीन)	उपलब्ध रिक्त के सापेक्ष
12	ईश्वर सिंह/ 15.06.66 / पौड़ी	अवस्थापना (पुनर्वास) खंड, नई टिहरी	सिंचाई कार्य (पुनर्वास) मंडल, ऋषिकेश (रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(ख) (एक)	-
13	मृत्युंजय कुमार / 5.07.78 / बिजनौर	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खंड, पुरोला	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विधि अनुभाग), सिंचाई विभाग, देहरादून	धारा 17(1)(ख) (एक)	-
14	धनेन्द्र प्रसाद जोशी / टिहरी / 20.03.66	पी0एम0जी0एस0 वाई0 लो0नि0वि0 कीर्तीनगर	सिंचाई खंड, देहरादून उपखंड-4 (श्री सूरेश चन्द्र, सहा0अभि0 को प्रभारी अधि0अभि0 का कार्यभार दिये जाने के पश्चात रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(ग)	-
15	अरविन्द प्रसाद जोशी / उत्तरकाशी / 06.01.65	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई, जखौली	सिंचाई खंड, रुड़की (उपखंड-5) (श्री संजीव कुमार सिंह, सहा0अभि0 के स्था0 के फलस्वरूप रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(ग)	-
16	रत्नाकर बेलवाल / टिहरी / 07.04.66	अवस्थापना पुन0 खंड, नई टिहरी	अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादून (रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(ग)	-
17	प्रेम लाल नौटियाल / टिहरी / 06.02.68	सिंचाई खंड, उत्तरकाशी (उपखंड-4)	सिंचाई खंड, विकासनगर (उपखंड-1) (रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(ग)	-


18	नवीन सिंह लस्पाल / पिथौरागढ़ / 02.02.70	सिंचाई खंड, लोहाघाट (उपखंड-2)	सिंचाई खंड, रामनगर (उपखंड-2) (श्री मदन सिंह बिष्ट, सहाअभि0 के स्था0 के फलस्वरूप रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(ग)	
19	रमेश चन्द्र कोठारी / रुद्रप्रयाग / 05.09.63	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिं0ख0-2, टिहरी	परियोजना खंड, ऋषिकेश (श्री राजेश नौटियाल , सहा0 अभि0 के स्था0 के फलस्वरूप रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(ग)	
20	कमलेश पाण्डे / पिथौरागढ़ / 04.05.69	सिंचाई कार्य मंडल, अल्मोड़ा	सिंचाई खंड, नैनीताल (उपखंड-4) (श्री राजीव खनुलिया, सहा0अभि0 के स्था0 के फलस्वरूप रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(ग)	
21	मकान सिंह / टिहरी / 1.03.78	पी0एम0जी0एस0 वाई0सिं0ख0, बैजरी	सिंचाई खंड, कालसी (उपखंड-1) (श्री शिवराम जगुड़ी, सहा0 अभि0 के स्था0 के फलस्वरूप रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(ग)	
22	गोपाल सिंह बिष्ट / टिहरी / 19.01.69	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिं0ख0श्रीनगर	परियोजना खंड, ऋषिकेश (रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(ग)	
23	कमल कान्त जोशी / पिथौरागढ़ / 10.12.68	पी0एम0जी0एस0 वाई.सिं0ख0, पिथौरागढ़	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खंड, हल्द्वानी (जमरानी बांध निर्माण खंड-1, हल्द्वानी) (रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(ग)	

	हरीश भूषण / पौडी / 12.05.69	अवस्थापना (पु0) खंड, टिहरी	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खंड, देहरादून (रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(ग)	-
25	हरीश चन्द्र जोशी / बागेश्वर / 16.08.66	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई अल्मोड़ा	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खंड, देहरादून (श्री अनन्तराम उनियाल, सहा0अभि0 को प्रमारी अधि0अभि0 का कार्यभार दिये जाने के पश्चात रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(ग)	-
26	राकेश कुमार यादव / उधमसिंहनगर / 1.01.66	सिंचाई खंड, लोहाघाट (सम्बद्ध)	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खंड, नैनीताल	धारा 17(1)(ग)	-

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



Aditya
8/6/18
ए0के0दिनकर
प्रमुख अभियन्ता

कृ0प0.....3

2850
पत्रांक (1) / प्र0अ0 / सिंचि0 / ई-5 / खग0-2018 / तदिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के सज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/ (स्तर-2)/ (सांख्यिक), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई.टी.0 पार्क के सामने, सहस्रभारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- ✓ 9. अधिशासी अभियन्ता, परियोजना खंड, देहरादून को उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. वैयक्तिक अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
11. प्रान्तीय अध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. कट फाईल हेतु।

(टी0एस0 मर्तोल्या)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता